तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जीयाराम बनाम सरकार प्रकरण सख्या 149/2021 धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.4.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व , अधिनियम के तहत पेश किया कि प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 77 बीधा 09 बिस्वा 12.5371 हेक्टेयर एव खसरा नम्बर 544/1 रकबा 13 बीधा 10 बिस्वा 2.1853 हेक्टेयर वाके ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। उपरोक्त दोनो खसरान् के बीच मे से खसरा नम्बर 544/2 गैर मुमकिन सडक स्थित है। उपरोक्त सडक निकलने से खसरा नम्बर 544 के दो भाग हो गये जिसका राजस्व रेकार्ड मे अंकन हो गया परन्तु राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज रकबा एव मौके पर स्थिति रकबा मे अन्तर है जिसे शुद्व किया जावे। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एक व दो की ओर से सहमति का जबाव पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गयां। प्रार्थीगण का प्रार्थना है कि प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 एव 544/1 का कुल रकबा 90.19 बीधा अर्थात 14.7224 हेक्टेयर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है परन्तु खसरा नम्बर 544 का राजस्व रेकार्ड मे 77.09 बीधा दर्ज है जबकि मौके पर 61.13 बीधा 9.9237 हेक्टेयर है तथा खसरा नम्बर 544/1 राजस्व रेकर्ड मे 13.10 बीधा है जबकि मौके पर 29.06 बीधा अर्थात 4.7053 हेक्टेयर है ऐसी स्थिति मे राजस्व रेकार्ड एवं मौके मे भिन्नता है जिसे शुद्व किया जावे। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत मौका एव पटवारी रिपोर्ट मे हल्का पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन से खसरा नम्बर 544 का रकबा मौके पर 61.13 बीधा एव खसरा नम्बर 544/1 का 29.06 बीधा है जबकि राजस्व रेकार्ड मे अलग दर्ज है जबकि राजस्व रेकार्ड एव मौके का कुल रकबा समत अर्थात 90.19 बीधा अर्थात 14.7224 हेक्टेयर है। ऐसी स्थिति मे कानूनी रूप से भी मौके एव राजस्व रेकर्ड मे समानता होना आवश्यक हैं। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे भी भू अभिलेख अधिकारी को शाक्ति प्रदत है कि ऐसी गलतिया को शुद्व किया जा सकता है जिसे पक्षकार स्वीकार करते है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण ने स्वीकृत प्रदान की है तथा तहसीलदार लूणी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे भिन्न्ता होने पर अशुद्वी को शुद्व किया जाना लाजमी माना है। अतः–प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देश किए जाता है कि ग्राम नंदवान के खसरा नम्बर 544 के राजस्व रेकार्ड मे रकबा 77.09 बीधा 12.5371 हेक्टेयर के स्थान पर 61.13 बीधा अर्थात 9.9237 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 544/1 रकबा 13 बीधा 10 बिस्वा अर्थात 2.1853 हेक्टेयर के स्थान पर 29.06 बीधा अर्थात 4.7053 हेक्टेयर दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	—